श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर (राजस्थान) 303329
फोन नं. 01425–254022 (का.), 01425–254022 (फैक्स)
ई–मेल : dean.skncoa@sknau.co.in Website : www.sknau.ac.in

क्रमांक : एफ / एसकेएन / 2018–19 / 554 दिनांक : 22.05.2018

ई–निविदा सूचना

सिक्यूरिटी, कृषि, पशुपालन एवं प्रायोगिक कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov** से डाउनलोड किया जा सकता है एवं **sppp.rajasthan.gov.in** and **www.sknau.ac.in** देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट **"http://eproc.rajasthan.gov.in"** पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई–निविदा प्रपत्र शुल्क ₹ 1,000.00, बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) ₹ 1,40,000.00 के अलग–अलग डी.डी. / बी.सी. डीन, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर एवं प्रोसेसिंग फीस 1,000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक M.D., RISL, Jaipur के नाम दिनांक 25.06.2018 दोपहर 01.00 बजे तक आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा।

UBN No.- SKN1819SLOB00015

राज.संवाद / सी / 18 / 1278 अधिष्ठाता

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत–श्रीगंगानगर

क्रमांक:– दिनांक:–16.05.2018

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 04/2018–19
(सड़क/भवन कार्य)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सड़क/भवन कार्य जिसमें कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात नियमानुसार रहेगा, के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में उपुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों एवं अन्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए, ए, के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। आर.पी.डब्ल्यू.ए. 100 की शर्तें लागू होंगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट http://dipronline.org एवं विभागीय वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in, http://www.pwd.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। उक्त कार्य के निविदा प्रपत्र निविदा आवेदन, डाउनलोड व जमा करने की **दिनांक 17.05.2018 प्रातः 9.30 बजे से 31.05.2018 सायं 3.30 बजे तक** होगी। व निविदा खोलने की 4 जून 2018 मध्याह्न पश्चात 3.30 बजे हैं।

1. UBN No : PWD1819WSOB02930, 2. UBN No : PWD1819WSOB02931, 2. UBN No : PWD1819WSOB02932

(वी.एल. धनकड़)
अधीक्षण अभियन्ता
डीआईपीआर/सी/6522/2018 सानिवि वृत श्रीगंगानगर

Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited

(CIN: U40108JH2013SGC001704)
Office of the General Manager-Cum-Chief Engineer, Transmission Zone-III, Jamshedpur
Phone No. & Fax No. 0657 2203355, email id: tz3jsr_jusnl@rediffmail.com

Tender Extension Notice

Due to non-participation of sufficient number of bidders, e-NIT No. 61/PR/JUSNL/2018-19 is being extended as follows :-

Extended last date and time of Bid upload :- 31.05.2018 upto 02.00 PM

Extended last date and time of submission of hard copy :- 31.05.2018 upto 03.00 PM

Extended Bid opening date & time :- 01.06.2018 at 03.00 PM

All other terms and conditions in e-NIT published remain same.

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें। कृपया अपनी शिकायतों को टॉल फ्री नं० 1800 345 6570 पर दर्ज करायें।

PR No. 183284

Sd/-
GM-cum-CE (Trans Zone-III)
(Jamshedpur)

PR 185329 (Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd) 18-19 (D)

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान)
(CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806)
डाकघर–जादुगोड़ा माईन्स, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड–832102

सं0यूसिल/टी.एम.डी./उप महाप्रबंधक-इन्टु/औ.स. (कार्मिक)/28/2018 दिनांक 24.05.2018

शुद्धि पत्र

यूसिल प्रबंधन के विज्ञापन संख्या यूसिल/टी.एम.डी./उप महाप्रबंधक-इन्टु / औ.स. (कार्मिक)/28/2018 दिनांक 14.05.2018, तालसा ग्राम के नई अधिग्रहित भूमि के भू-विस्थापितों की नियुक्ति के सम्बंध में सूचना हिन्दी दैनिक अखबार **"दैनिक जागरण"** में दिनांक 22 मई 2018 को एवार्डी के आपत्ति/असहमति स्वरूप विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। एतद् द्वारा **क्र. सं. / एवार्ड संख्या - 09, 16, 22, 28, 29 में संशोधन किया गया है। संशोधन के उपरान्त सूची को निम्न प्रकार से पढ़ा / माना जाए :-**

एवार्ड संख्या	शीर्षक / सूची	पूर्व में प्रकाशित	संशोधन के उपरान्त / पश्चात
09	भू-विस्थापित(एवार्डीज)/अंशधारकों का नाम (श्री/श्रीमती)	छीता हेम्ब्रम पिता स्व0 ठाकुरा हेम्ब्रम एवं अन्य	छीता हेम्ब्रम पति स्व0 ठाकुरा हेम्ब्रम एवं अन्य
16	भू-विस्थापित(एवार्डीज)/अंशधारकों का नाम (श्री/श्रीमती)	अन्य एवं पानरा सोरेन आरसु सोरेन पिता स्व0 राम माझी।	अन्य एवं पावरा सोरेन आरसु सोरेन पिता स्व0 राम माझी।
22	अभियुक्ति	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत एक ही नियोजन मान्य होगी।	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत दो ही नियोजन मान्य होगी।
28	अभियुक्ति	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत एक ही नियोजन मान्य होगी।	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत दो ही नियोजन मान्य होगी।
29	प्लॉट संख्या	1680,1681,1687,1688,1889, 1691,1692,1701,1703,1693, 1694,1702,1882,1854,1856	1680,1681,1687,1688,1889, 1691,1692,1701,1703,1693, 1694,1702,1882,1884,1885
	अभियुक्ति	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत एक ही नियोजन मान्य होगी।	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत दो ही नियोजन मान्य होगी।

कृते यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार
निर्माण तथा अनुरक्षण समूह
श्रीहरिकोटा–524124.

ई–निविदा संक्षिप्त सूचना

ई–निविदा सूचना सं.:सीएमजी/सी/डब्ल्यू 1887009 तिथि: 24.05.2018

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नलिखित कार्य के लिए ई–निविदा के जरिए सामग्री–दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	वर्णन	विवरण
1.	कार्य का नाम:	सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार में पीएसएलवी समाकलन सुविधाएं (पीआईएफ) परीयोजना के लिए सिविल, विद्युत, वातानुकूलन तथा सम्बद्ध कार्य।
	एनआईटी सं. एवं तिथि	सीएमजी/सी/डब्ल्यू 1887009, तिथि: 24.05.2018
2.	निविदा की अनुमानित लागत	₹203 करोड
3.	पूर्णता की अवधि	15 माह
4.	निविदा दस्तावेज मंगवाने की अवधि	29.05.2018 को 10:00 बजे से 12.06.2018 को 14:00 बजे तक
5.	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	15.06.2018, 14:30 बजे तक

2. इच्छुक निविदाकार विस्तृत सूचना आमंत्रित निविदा के लिए वेबसाइट **www.isro.gov.in** या **www.tenderwizard.com/ISRO** पर जाएं। अन्य विवरण तथा निविदा दस्तावेजों की खरीद के लिए **www.tenderwizard.com/ISRO** पर जाएं। फोन : 08623 226447, 226420 पर संपर्क करें।

समूह निदेशक, सीएमजी, एसडीएससी शार

सीएसआईआर-राष्ट्रीय मेटालर्जिकल लेबोरेटरी

जमशेदपुर- 831007

ISO 9001:2008

ई–निविदा आमंत्रण सूचना (ई–एनआइटी)

निम्नलिखित कार्यों के लिए सीपीडब्लूडी, पीडब्लूडी, एमइएस, रेलवे, अर्द्ध–सरकारी संगठन, लोक उपक्रमों, टाटा समूहों के साथ कार्यरत ठेकेदारों या जिन्होंने सीएसआईआर या इसके लेबोरेटरियों/संस्थानों के लिए कार्य किया है, से ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है:

(1) ''वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए एनएमएल के गृह परिसरों में विद्युत कार्यों, डी.जी. सेट एवं पम्पों के संचालन एवं रखरखाव हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध''। **अनुमानित लागत:** रु. 17,03,358/–, **अग्रधन राशि:** रु. 34,100/– एवं **समापन का समय:** बारह महीने। **(एनआइटी नं. एनएमएल/इंजी./डब्लूएसएम/एनआइटी/05(06)/2018–2019 दिनांक 22.05.2018)**

(2) ''वर्ष 2018–19 एवं 2019–2020 के लिए मुख्य लेबोरेटरी में डीजी सेट का व्यापक रखरखाव एवं संचालन, सीएसआईआर–एनएमएल के एलएसटीएफ एवं एमजी. प्रोजेक्ट एरिया, मुख्य लेबोरेटरी में विद्युत कार्यों हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध''। **अनुमानित लागत:** रु. 12,44,780/–, **अग्रधन राशि:** रु. 24,900/– एवं **समापन का समय:** बारह महीने। **(एनआइटी नं. एनएमएल/ इंजी./डब्लूएसएम/एनआइटी/05(07)/2018–2019 दिनांक 22.05.2018)**

निविदा प्रक्रिया एनआइसी सीपीपीपी ई पोर्टल युआरएल पता **http://etender.gov.in/eprocure/app** पर ऑनलाइन है। निविदा की बिड प्रस्तुतीकरण अंतिम तिथि **11.06.2018** को **18.00** बजे सायं तक होगी। अन्य विवरण/जानकारी वेबसाइट: **http://www.nmlindia.org** पर भी देखे जा सकते हैं।

प्रधान, अभियांत्रिकी

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI-834004
Phone :- 0651-2400852,2400851 Fax :- 0651-2400850

Corrigendum

Corrigendum of P.R. No. 184835, advertised on date 19.05.2018, the heading of public notice was by mistake printed as "Public Notice For All Service Centre" in place of "Public Notice For All Hotel and Restaurant Managements".

Advertisement dated 19.05.2018 is corrected upto this extent only. All other materials will remain the same.

(Rajeev Lochan Bakshi)
Member Secretary

PR 185296 (Jharkhand State Pollution Control Board) 18-19 (D)

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(जिला पंचायत शाखा)

नोटिस

उपर्युक्त विषय पर उक्त निर्वाचन में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 309 दिनांक 02/02/2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम–2001 की धारा 68(क) एवं 65'क' 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 एवं निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस ज्ञापांक 574/जि0पं0 दिनांक 11/08/2016, 631/जि0पं0 दिनांक 29/08/2016 एवं 26/जि0पं0 दिनांक 10/01/2018 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि पंचायत समिति सदस्य/ग्राम पंचायत मुखिया/सदस्य पद के अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस तामिला के उपरान्त निर्वाचन लेखा दाखिल ही नहीं किया है।

उक्त कृत्य के लिए आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा 10(क) सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम–2001 की धारा 68(क) एवं 65'क' 'क' के अधीन निरर्हित होने के दायी है। फिर भी इस सम्बन्ध में आपको अंतिम अवसर दिया जाता है।

अतः आप सूचना की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) –सह– उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

यदि दी गई अवधि में ऐसा करने में असफल रहते है तो आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा 10(क) सहपठित पंचायत राज अधिनियम–2001 की धारा 68(क) एवं 65'क' 'क' के अधीन निरर्हित घोषित करने वाले अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित इस आदेश की तिथि से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित कर दिये जायेंगे। ग्राम पंचायत मुखिया के अभ्यर्थियों की सूची निम्नप्रकार है :–

पद का नाम : मुखिया

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2015 व्यय लेखा विवरणी जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	प्रखण्ड	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4
278		मनिता सुन्डी	पू0 मऊभंडार, घाटशिला
279		जीतेन पूर्ती	गोपालपुर, घाटशिला
280		दुलाल हेम्ब्रम	गोपालपुर, घाटशिला
281		बाबुलाल हेम्ब्रम	गोपालपुर, घाटशिला
282		रीता मुण्डा	गोपालपुर, घाटशिला
283		रोबिन्सन मेनसन बाजराय	गोपालपुर, घाटशिला
284		सुखलाल हाँसदा	गोपालपुर, घाटशिला
285		नियती हाँसदा	धरमबहाल, घाटशिला
286		बासन्ती मुर्मू	धरमबहाल, घाटशिला
287		सोरीता मार्डी	धरमबहाल, घाटशिला
288		मेघराय बेसरा	पावड़ा, घाटशिला
289		प्रमिला मानकी	घाटशिला, घाटशिला
290		राधिका हाँसदा	घाटशिला, घाटशिला
291		सारती किस्कु	घाटशिला, घाटशिला
292		अमन टुडू	काशिदा, घाटशिला
293		नगेन सोरेन	काशिदा, घाटशिला
294		पल्टु सरदार	काशिदा, घाटशिला
295		बैजु सोरेन	काशिदा, घाटशिला
296		मंगल मार्डी	काशिदा, घाटशिला
297		सबेन मुण्डा	काशिदा, घाटशिला
298		सीता राम सिंह	काशिदा, घाटशिला
299		सुंदर माझी	काशिदा, घाटशिला
300	घाटशिला	अरुणा सोरेन	कालचिती, घाटशिला
301		प्रभाती नायेक	कालचिती, घाटशिला
302		सरस्वती सिंह	कालचिती, घाटशिला
303		सोमवारी सोरेन	कालचिती, घाटशिला
304		रामलाल हेम्ब्रम	झांटीझरना, घाटशिला
305		लुलका सिंह	झांटीझरना, घाटशिला
306		विजय सिंह	झांटीझरना, घाटशिला
307		सुकुमार सिंह	झांटीझरना, घाटशिला
308		सुरेश चन्द्र मुण्डा	झांटीझरना, घाटशिला
309		उमा रानी मानकी	भादुआ, घाटशिला
310		कुनी मानकी	भादुआ, घाटशिला
311		चिंतामनि माण्डी	भादुआ, घाटशिला
312		पानमनी मानकी	भादुआ, घाटशिला
313		सावित्री सोरेन	भादुआ, घाटशिला
314		किरीटी सिंह	बड़ाजुड़ी, घाटशिला
315		मुकुन्द कुमार हाँसदा	बड़ाजुड़ी, घाटशिला
316		मोनी सामाद	बड़ाजुड़ी, घाटशिला
317		राम चन्द्र हाँसदा	बड़ाजुड़ी, घाटशिला
318		रूद्र नारायण सिंह	बड़ाजुड़ी, घाटशिला
319		कमला टुडू	बाँकी, घाटशिला
320		पोमा मुर्मू	बाँकी, घाटशिला
321		मानिक सोरेन	बाँकी, घाटशिला
322		सुशिला टुडू	बाँकी, घाटशिला
323		सुशीला टुडू	बाँकी, घाटशिला
324		नरसिंह टुडू	काड़ाडुबा, घाटशिला
325		मंगल किस्कु	काड़ाडुबा, घाटशिला
326		मानिक सरदार	काड़ाडुबा, घाटशिला
327		माठी हाँसदा	काड़ाडुबा, घाटशिला
328		शशिभुषण मानकी	काड़ाडुबा, घाटशिला
329	घाटशिला	कुईलु मुर्मू	आसना, घाटशिला
330		जासमीन हेम्ब्रम	आसना, घाटशिला
331		दुलारी टुडू	आसना, घाटशिला
332		महारानी मुर्मू	आसना, घाटशिला
333		लक्ष्मी सिंह	आसना, घाटशिला
334		यमुना सिंह	ग्राम– ईचड़ा, मुसाबनी
335		लक्ष्मी उराँव	ग्राम– ईचड़ा, मुसाबनी
336		शीला कुमारी	ग्राम– ईचड़ा, मुसाबनी
337		चितरंजन सिंह	ग्राम –कुलामारा, मुसाबनी
338		प्रतिमा सोरेन	ग्राम–रोआम, मुसाबनी
339		बिजो हेम्ब्रम	ग्राम–रोआम, मुसाबनी
340		जवाहर बैजु मुर्मू	ग्राम –कुमीरमुड़ी, मुसाबनी
341		सुनील किस्कु	ग्राम – कुमीरमुड़ी, मुसाबनी
342	मुसाबनी	सोखिया बिरुली	ग्राम–तेरेंगा, मुसाबनी
343		उर्मिला बेसरा	ग्राम – सोमायडीह, मुसाबनी
344		मंजु सोय	ग्राम –सोमायडीह, मुसाबनी
345		मोहन मुर्मू	ग्राम–सोहदा, मुसाबनी
346		मायनो सोरेन	ग्राम–बाड़ाघाट, मुसाबनी
347		लक्ष्मी मुनी टुडू	ग्राम–कदमडीह, मुसाबनी
348		सोरीला मुर्मू	ग्राम – सुरदा, मुसाबनी
349		गणपति मुर्मू	ग्राम– सोनागाढ़ा, मुसाबनी
350		जयसिंह सोरेन	ग्राम– सोनागाढ़ा, मुसाबनी
351		जुझार हाँसदा	ग्राम – मेढ़िया, मुसाबनी
352		लखीराम सोरेन	ग्राम – जामशोल, मुसाबनी
353		अनूप ओड़ेया	ग्राम – मुसाबनी, मुसाबनी
354		विष्णु माहली	ग्राम – गिरीशडांगा, मुसाबनी
355		दुर्गी हेम्ब्रम	ग्राम – टेटा बादिया, मुसाबनी
356		कारू मुर्मू	ग्राम – बादिया, मुसाबनी
357		दासमात टुडू	ग्राम – बादिया, मुसाबनी
358		पद्म लोचन मुर्मू	ग्राम – बादिया, मुसाबनी
359		सागर किस्कु	ग्राम –बानालोपा , बादिया, मुसाबनी
360		पोमा मनी बेसरा	ग्राम – सुंदरनगर, मुसाबनी
361		सुनीता किस्कु	ग्राम – सुंदरनगर, मुसाबनी
362		नरेश माहली	ग्राम – लाटीया, मुसाबनी
363		लाखी माहली	ग्राम – लाटीया, मुसाबनी
364		कुईली हाँसदा	ग्राम – गोहला, मुसाबनी
365		संगीता लेयागी	ग्राम – विक्रमपुर, मुसाबनी
366		गौरा मार्डी	ग्राम – पारुलिया, मुसाबनी
367		सुमित्रा माझी	ग्राम – कोड़शोल, मुसाबनी
368		लक्ष्मी सिंह मुण्डा	ग्राम– दामदी, पंचायत– खैरबनी
369		लक्ष्मी सोरेन	ग्राम+पंचायत– बड़ाकांजिया
370		चन्दनी मुर्मू	ग्राम– काशीडीह, पंचायत– कुमड़ाशोल
371		जितेन सरदार	ग्राम– भालुकपातड़ा, पंचायत– कुमड़ाशोल
372		राम कुमार सरदार	ग्राम– पुनासीबाद, पंचायत– कुमड़ाशोल
373		रानी मुर्मू	ग्राम– बारेडीह, पंचायत– कांटाशोल
374		सोना बोयपाई	ग्राम– हौड़दा, पंचायत– कांटाशोल
375	डुमरिया	सोमवारी सरदार	ग्राम– हौड़दा, पंचायत– कांटाशोल
376		मेमलाल किस्कु	ग्राम– पलाशबनी, पंचायत– पलाशबनी
377		रावते सोरेन	ग्राम– पलाशबनी, पंचायत– पलाशबनी
378		सुपाई सोरेन	ग्राम– माङोतोलिया, पंचायत– पलाशबनी
379		कारमी मुर्मू	ग्राम– चिंगड़ा, पंचायत– आस्ताकोवाली
380		चम्पा सोरेन	ग्राम– पंचनगोड़ा, पंचायत– आस्ताकोवाली
381		यशोदा मुर्मू	ग्राम– पंचनगोड़ा, पंचायत– आस्ताकोवाली
382		उपाल सोरेन	ग्राम–मुड़ाकाटी, पोस्ट–मुराठाकरा
383		रसमणि मुर्मू	ग्राम–मुड़ाकाटी, पोस्ट–मुड़ाकाटी
384		रामचन्द्र हाँसदा	ग्राम–मुड़ाकाटी, पोस्ट–मुड़ाकाटी
385	गुड़ाबान्दा	रानी माण्डी	ग्राम–माण्डापाथर, पोस्ट–बालिजुड़ी
386		बलराम माण्डी	ग्राम–केन्दुडीहा, पोस्ट–आंगारपाड़ा
387		सागर मुण्डा	ग्राम–पुनसिया, पोस्ट–आंगारपाड़ा
388		अंजलि मुण्डा	ग्राम–स्वर्गछिड़ा, पोस्ट–कैमा
389		यमुना नायक	ग्राम–स्वर्गछिड़ा, पोस्ट–कैमा
390	धालभूमगढ़	कमल किस्कु	बेडड़ा, हल्दाजुड़ी
391		सावना सोरेन	स्वर्गछिड़ा, हल्दाजुड़ी
392		सरस्वती हाँसदा	किशोरीपुर, चाकुलिया
393		सलमा मुर्मू	जगन्नाथपुर, चाकुलिया
394		अनिल हेम्ब्रम	कुटरापाड़ा, कांटाबनी
395	चाकुलिया	सिमाल किस्कु	मालकुण्डी, माटियाबांधी
396		मोहन चन्द्र टुडू	पिताजुड़ी, चाकुलिया
397		डमन माण्डी	केरूकोचा, मुड़ाल
398		मंगल हाँसदा	बामनडीह, मुड़ाल
399		रवीन्द्र हेम्ब्रम	केन्दाडांगरी, सरडीहा
400	बहरागोड़ा	फनिभुषण मुण्डा	बड़ुलिया

आदेशानुसार,
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
–सह–उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

PR 185180 (Panchayati Raj) 18-19 (D)

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जमशेदपुर

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–08 / 2018–19 दिनांक 23.05.2018

1	विभाग का नाम	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची।
2	विज्ञापनकर्त्ता का नाम	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जमशेदपुर।
3	परिमाण विपत्र बिक्री की अंतिम तिथि	दिनांक 31.05.2018, समय 4.00 बजे अपराह्न
4	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 01.06.2018, समय 3.00 बजे अपराह्न
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 01.06.2018, समय 4.00 बजे अपराह्न
6	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जमशेदपुर पेयजल एवं स्वच्छता जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर
7	कार्यालय, जहाँ निविदा जमा करना है	पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जमशेदपुर

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू० में)	कार्य अवधि
01	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत कस्तुरबा गाँधी बालिका उच्च विद्यालय, हरदा, प्रखंड डुमरिया, पंचायत कांटाशोल, जिला पूर्वी सिंहभूम में जलापूर्ति योजना निर्माण कार्य।	1552554.00	31100.00	5000.00	2 माह

निविदा की शर्तें एवं परिमाण विपत्र विभागीय वेबसाईट www.daa.jharkhand.gov.in से Download की जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता
पेयजल एव स्वच्छता प्रमंडल जमशेदपुर

P.R.185322 Drinking Water and Sanitation(18-19)D

जिला समादेष्टा का कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

आवश्यक सूचना

निदेशानुसार झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विज्ञापन संख्या–1 / 2016 के द्वारा गृह रक्षक के नव नामांकन के लिए आवेदित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदित अभ्यर्थियों का **शारीरिक, लिखित एवं तकनीकी जाँच परीक्षा** के लिए तिथि एवं प्रखण्ड वार अनुमोदित कार्यक्रम निम्नलिखित है :–

शारीरिक एवं लिखित जाँच कार्यक्रम।

तिथि	समय	प्रखण्ड	परीक्षा केन्द्र
4.6.2018	प्रातः 9 बजे	तांतनगर	संत जेवियर्स बालक उच्च विद्यालय, चाईबासा (पुलिस लाईन, चाईबासा के पीछे)
5.6.2018	प्रातः 9 बजे	सोनुवा	
		झींकपानी	
6.6.2018	प्रातः 9 बजे	खुंटपानी	
7.6.2018	प्रातः 9 बजे	मझगांव	
		मंझारी	
8.6.2018	प्रातः 9 बजे	चक्रधरपुर	
9.6.2018	प्रातः 9 बजे	मनोहरपुर	
		बन्दगाँव	
10.6.2018	प्रातः 9 बजे	जगन्नाथपुर	
		कुमारडुंगी	
11.6.2018	प्रातः 9 बजे	गोईलकेरा	
		टोन्टो	
		नोवामुण्डी	
12.6.2018	प्रातः 9 बजे	सदर ग्रामीण	
13.6.2018	प्रातः 9 बजे	शहरी	

उपरोक्त दिए गए तिथि एवं समय पर सभी आवेदित अभ्यर्थी शारीरिक एवं लिखित परीक्षा में आवेदन किए गए प्रखण्ड के अनुसार संत जेवियर्स बालक उच्च विद्यालय, चाईबासा में निर्धारित तिथि एवं समय पर पहुँच कर नव नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होगें। शारीरिक जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा भी उसी दिन शारीरिक जाँच परीक्षा स्थल संत जेवियर्स बालक उच्च विद्यालय, चाईबासा पर होगी।

तकनीकी जाँच परीक्षा कार्यक्रम

तिथि	समय	परीक्षा केन्द्र
25.6.2018	प्रातः 10 बजे	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चाईबासा (टाटा कॉलेज चाईबासा के सामने)
26.6.2018	प्रातः 10 बजे	

वैसे शहरी अभ्यर्थी जिन्होनें किसी तकनीकि विशेषज्ञता का उल्लेख अपना आवेदन पत्र में किये हैं, वैसे शारीरिक एवं लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का तकनीकी जाँच परीक्षा दिनांक–25.6.2018 एवं 26.6.2018 को दोनो तिथियों को सभी तकनीकी विषयों की जाँच परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी उक्त दोनों तिथियों में से किसी भी एक तिथि को निर्धारित समय पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, चाईबासा में तकनीकी जाँच परीक्षा हेतु उपस्थित होगें।

1. अभ्यर्थी शारीरिक एवं लिखित परीक्षा हेतु आवेदन पत्र की पावती एवं पहचान पत्र के रूप में (आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक) अनिवार्य रूप से अपने साथ लाएगें।
2. वैसे अभ्यर्थी जिनका पावती किसी कारणवश उपलब्ध नही हो, गुम / नष्ट हो गया हो। वे (आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक) के साथ में निश्चित रूप से दिनांक–25.5.2018 से 31.5.2018 के मध्य जिला समादेष्टा कार्यालय से सम्पर्क कर द्वितीयक पावती प्राप्त कर लेगें।
3. नव नामांकन की शारीरिक एवं लिखित जाँच परीक्षा संबंधी कोई भी सूचना / जानकारी दिनांक 25.5.2018 से 31.5.2018 तक जिला समादेष्टा कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त पर उपायुक्त सह अध्यक्ष चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

(ह / –)
जिला समादेष्टा,
झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

PR 185067 (West Singhbhum) 18-19 (D)

झारखण्ड सरकार
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
प्राचार्य का कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चाईबासा

नामांकन सूचना

झारखण्ड सरकार के द्वारा SCVT के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जगन्नाथपुर, पश्चिमी सिंहभुम (टाटा स्टील–सी0एस0आर के अन्तर्गत) में निदेशालय पत्रांक 251, दिनांक 03.03.2017 के द्वारा जिला स्तर पर गठित कमिटी के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018 – 19 – 2020 में नामांकन किया जायेगा। अंकित व्यवसायों में प्रवेश के निमित्त इच्छुक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों से अनुसूची :– 'क' के अनुसार हस्तलिखित / टंकित आवेदन पत्र **15.06.2018, 5:00 बजे अपराहन्** तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चाईबासा प0 सिंहभुम, पिन0 :– 833202 के पते पर निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित किए जाते है।

क्रमांक	व्यवसाय	कुल युनिट	प्रशिणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	इलेक्ट्रीशियन	1	21	दो वर्षीय
2	फीटर	1	21	दो वर्षीय

(1) शैक्षणिक योग्यता

1. प्रवेश पाने हेतु न्युनतम शैक्षणिक योग्यता DGT द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समरूप होगा जो निम्न व्यवसायों के लिए निम्नवत है :–
(क) निम्न व्यवसायों के लिए 10वीं / समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 10+2+3 प्रणाली के आधार पर।
(ख) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक / मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा।
2. **आयु अहर्ता** :–
(क) एक जुलाई 2018 को आयु न्यूनतम 14 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
(ख) सैन्य कार्यवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष।
आयु के निर्धारण के लिए केवल 10वीं, समकक्ष परीक्षा के मूल / औपबंधिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैध होगी।
3. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेगें। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।
4. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षार्थियों को 50 / – (पचास रूपये) मात्र कौशन मनी (अवधान राशि) के रूप में जमा करना होगा, साथ ही शिक्षण शुल्क के रूप प्रतिमाह रूपये 100 / –(एक सौ) जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई भी सामान खो जाने या सामान को जानबूझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते है तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।
6. **आरक्षण अहर्ता**
(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा ज्ञापांक – 07 / नीति(आरक्षण) – 06 / 2001 का0 – 5886 राँची, दिनांक 21.09.2011 के अनुरूप रहेगा।
(ख) मेरिट से चूने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवरों को आरक्षित सीटो के विरूद्व समायोजित नहीं किया जायेगा। बल्कि खुली गुणा – गुण कोटि के 50% रिक्तयों के विरूद्व माना जायेगा।
(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृति सीटो के 30% नामांकन सुपरन्युमरी के रूप में अनुसुचित जाति / अनुसूचित जनजाति से भरा जायेगा।
(घ) सुपरन्युमरी सीट की एक एक सीट दिव्यांग एवं भुतपूर्व सैनिकों (किसा भी वर्ग) के आश्रितों के लिए आरक्षित है।
7. **आवासीय अहर्ता** – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते है जो झारखण्ड राज्य के निवासी है। या स्थानीय निवासी है या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते है। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 14 / स्थानीयता नीति – 14 –03 / 2016 का 4650, दिनांक 02.06.2016 (संकल्प सख्या 1398, दिनांक 18.04.2016) में स्थानीय निवासी प्रभिाषित किया गया। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अंचल अधिकारी / अनुमंडल अधिकारी / उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. **जाति आधारित अहर्ता** – नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागु अध्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मदवारों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अंचल अधिकारी / अनुमंडल अधिकारी / उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. आवेदन पत्र के साथ एक लिफाफा स्व पता लिखा हुआ एवं डाक टिकट 5रू0 प्रति संलग्न करें।
10. साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण पत्र का मूल प्रति जमा करना अनिवार्य है।
11. दिव्यांग को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फूल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो – पेडिक्स के विभागध्यक्ष / जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (Civil Sugeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।
12. आवेदन अपना आवेदन निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट , प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चाईबासा, पोस्ट – टाटा कॉलेज, जिला – प0 सिंहभुम, पिन नं0 – 833202 के पते पर भेजे। आवेदन पत्र में आवेदन अपनी योग्यता / जाति / उम्र / आवसीय से संबंधित सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर भेजें।
13. आवेदन पत्र एवं नामांकन हेतु दिशा निर्देश www.itichaibasa.in एवं संस्थान के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

नोट : 1. त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्ध किया जायेगा। साथ ही निधारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
चाईबासा, प0 सिंहभुम

PR 185042 (West Singhbhum) 18-19 (D)

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान)

(CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806)

डाकघर–जादुगोड़ा माइन्स, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड–832102

सं. यूसिल/टी.एम.डी./उप महाप्रबंधक. – इन्स्ट्रू/औ0स0(कार्मिक)/28/2018 दिनांक 14.05.2018

सूचना

संदर्भ : सं. यूसिल/टी.एम.डी./महाप्रबंधक. – औ0स0(कार्मिक)/02/2015 दिनांक 13.06.2015 एवं
सं. यूसिल/टी.एम.डी./महाप्रबंधक. – औ0स0(कार्मिक)/28/2015 दिनांक 23.07.2015
सं. यूसिल/टी.एम.डी./उप महाप्रबंधक. – इंस्ट्रू/औ0स0(कार्मिक)/28/2017 दिनांक 24.09.2017

विषयः तालसा ग्राम के नई अधिग्रहित भूमि के भू– विस्थापितों की नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भ सं. यूसिल/टी.एम.डी./महाप्रबंधक.–औ0स0(कार्मिक)/02/2015 दिनांक 13.06.2015, सं. यूसिल/टी.एम.डी./महाप्रबंधक. – औ0स0(कार्मिक)/28/2015 दिनांक 23.07.2015 एवं सं. यूसिल/टी.एम.डी./उप महाप्रबंधक. –इंस्ट्रू/औ0स0(कार्मिक)/28/2017 दिनांक 24.09.2017 हिन्दी दैनिक अखबार हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में प्रकाशित तालसा ग्राम के टैलिंग पोंड विस्तार हेतु तालसा ग्राम के नई अधिग्रहित **44.25** एकड़ भूमि के एवज में तालसा ग्राम के विस्थापितों /अंशधारकों (एवार्डीज) के परिवारों में से प्रबंधन के द्वारा यूसिल **R & R Policy** (पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति) के तहत् अकुशल वर्ग में यूसिल में नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदनों से ऐसा प्रतीत होता है कि इन व्यक्तियों के मनोनयन के संबंध प्रमाण पत्र के अंशधारकों (एवार्डीज) का अभिमत है फिर भी संबंध प्रमाण पत्र के सभी अंशधारकों (एवार्डीज) से अनुरोध किया जाता है कि यदि मनोनित व्यक्ति के यूसिल में नियोजनार्थ उनकी किसी प्रकार की असहमति / आपत्ति है तो कृपया इसकी पूरी लिखित जानकारी इस सूचना प्रकाशन तिथि के 20 (बीस) दिनों के अंदर लिखित रुप से अपर प्रबंधक (कार्मिक) तुरामडीह माईन्स, पो0 सुन्दरनगर को देने की कृपा करें। साथ ही अणु डाक **(e-mail)** के द्वारा भी **sksharma.inst@uraniumcorp.in** या **sksharmajsr@gmail.com** पर अपना असहमति/आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि उक्त समय सीमा तक अंशधारकों से कोई अपात्ति नहीं मिलने पर मनोनित योग्य व्यक्ति जो यूसिल **R & R Policy** (पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति) के सभी आवश्यक मानदंडों को पुरा करता हो, के नियोजन हेतु बिना किसी और सूचना के आगे की कारवाई की जायेगी। उक्त निर्धारित समय–सीमा के पश्चात मनोनयन के विरुद्ध प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जायेगा।

एवार्ड संख्या	भू–विस्थापित (एवार्डीज)/अंशधारकों का नाम (श्री/श्रीमती)	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	एरिया (एकड़ में)	आवेदन प्राप्त (श्री/श्रीमती/कु0)	अभियुक्ति
01	गाजी माझी, संखो माझी पिता स्व.गोपाल माझी	57	1808, 1809	0.21	श्रीमती कोयाली हेम्ब्रम पति गोपाल हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
02	गुमदा माझी पिता स्व.विशु माझी	4	1653, 1655, 1657, 1661, 1664, 1668, 1775, 1793, 1795, 1797, 1829, 1833	1.89	1. श्रीमती सोहागी हेम्ब्रम पिता स्व0 दिकु हेम्ब्रोम 2. श्री सुरेश हेम्ब्रम पिता स्व0 गुमदा हेम्ब्रम 3. श्री रमेश हेम्ब्रम पिता लखन हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
03	गुमदा माझी पिता स्व. विशु माझी, टुसू हेम्ब्रम पति स्व. कासु माझी, किशु हेम्ब्रम पिता स्व. दिकु माझी, चन्दर माझी पिता स्व. विशु माझी।	61, 62	1776,1777,1838	0.34	1. श्री बिशु हेम्ब्रम पिता स्व0 दिकु हेम्ब्रम 2. श्री सनातन हेम्ब्रम पिता स्व0 गुमदा हेम्ब्रम 3. कु0 सोहागी हेम्ब्रम पिता स्व0 गुमदा हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
04	गालु हेम्ब्रम पिता स्व. कारू माझी, बिरजु हेम्ब्रम, लुस्कु हेम्ब्रम पिता स्व. रामराय माझी। पायो हेम्ब्राम पति स्व0 गालु हेम्ब्राम, बिरजु हेम्ब्राम, लुस्कु हेम्ब्राम पिता स्व0 रामराय मांझी सालमा हेम्ब्रम पति स्व0 भुटि हेम्ब्रम, भोंजो हेम्ब्रम पिता स्व0 भुजू मांझी	236	1824, 1842, 1845, 1851, 1852, 1854, 1857, 1876, 1880	1.83	श्रीमती करमी हेम्ब्रम पति श्री लुसकु हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
05	गालु हेम्ब्रम पिता स्व. कारू माझी, बिरजु हेम्ब्रम, लुस्कु हेम्ब्रम पिता स्व. रामराय हेम्ब्रम, सालमा हेम्ब्रम पिता गुदी हेम्ब्रम, भोंजो हेम्ब्रम पिता स्व. भुजू हेम्ब्रम, मुगली माझी पिता स्व. गुरबा माझी, लखन हेम्ब्रम पिता स्व. विशु माझी। पायो हेम्ब्रोम पति स्व0 गालु हेम्ब्रोम, बिरजु हेम्ब्रोम, लुस्कु हेम्ब्रोम पिता स्व0 रामराय मांझी, सालमा हेम्ब्रोम पति स्व0 भुटि हेम्ब्रम, भोंजो हेम्ब्रम पिता स्व0 भुजू मांझी, मुगली मांझी पति स्व0 गुरबा मांझी, लाखन हेम्ब्रोम पिता स्व0 विशु मांझी।	235, 236	1856, 1862, 1860, 1871	0.51	श्री वकील हेम्ब्रम पिता स्व भुटि हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
06	गाजी मुर्मू, गुमदा मुर्मू, डोमन मुर्मू, दुलारी मुर्मू पिता स्व. मंगल मुर्मू।	12, 214, 267	1893, 1896, 1943, 1895, 1944, 1941	2.11	1. कु0 खुशबु कुमारी मुर्मू पिता गुमदा मुर्मू 2. श्री चैतन हॉसदा पिता गोपीनाथ हॉसदा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
07	गाजी माझी, शंखो माझी पिता स्व. गोपाल माझी, सिधो माझी, पिता कोड़े माझी निवासी निज ग्राम।	56	1930	0.29	श्री लक्ष्मण हेम्ब्रम पिता श्री गोपाल माझी।	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
08	चम्पा मार्डी पति स्व. करन माझी।	30	1801, 1802	0.25	श्री करन मार्डी पिता रघुनाथ मार्डी	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
09	छीता हेम्ब्रम पिता स्व. ठाकुरा हेम्ब्रम, बुड़गु माझी पिता स्व. विशु माझी, मालती हेम्ब्रम पति स्व. मंगल मांझी, जस्मीन हेम्ब्रम पति स्व. छुटाई माझी। पिरु हेम्ब्रोम पिता स्व0 ठाकुर माझी, बुड़गु मांझी पिता स्व0 बड़ा विशु मांझी, बसंती हेम्ब्रोम पति स्व0 विशु हेम्ब्रोम, मालती हेम्ब्रोम पति स्व0 मंगला मांझी, सिन्गो हेम्ब्रोम पिता स्व0 छुटाई हेम्ब्रोम।	89	1644	0.62	कु0 करमी हेम्ब्रम पिता स्व0 मंगल माझी	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
10	छीता माझीयान, सकरी माझीयान, माया माझीयान पिता स्व. रघुनाथ माझी, मुण्डा मांझी, गुरबा मांझी पिता स्व0 रमाई मांझी, बुधराम बेसरा पिता स्व0 चरण मांझी, धुमा मांझी पिता स्व0 खेला मांझी।	74	1647, 1670, 1673, 1674, 1675, 1678, 1679, 1684, 1685	1.44	कु0 पुजा बेसरा पिता गुरबा बेसरा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
11	श्रीमती छीता हेम्ब्रम पति स्व. ठाकुरा मांझी। पिरु हेम्ब्रोम पिता स्व0 ठाकुर मांझी, बुड़गु मांझी पिता स्व0 बड़ा विशु मांझी, बसंती हेम्ब्रोम पति स्व0 विशु हेम्ब्रोम, मालती हेम्ब्रोम पति स्व0 मंगला मांझी, सिन्गो हेम्ब्रोम पिता स्व0 छुटाई मांझी।	4	1652, 1654, 1663, 1667, 1779, 1796, 1834	1.09	श्री ठाकुर हेम्ब्रम पिता स्व0 बिशु हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
12	छीता हेम्ब्रम पति स्व. ठाकुरा मांझी, बुड़गु हेम्ब्रम पिता स्व. विशु मांझी, मालती हेम्ब्रम पति स्व. मंगल माझी। पिरु हेम्ब्रोम पिता स्व0 ठाकुर मांझी, बुड़गु मांझी पिता स्व0 विशु मांझी, मालती हेम्ब्रोम पति स्व0 मंगला मांझी, बसंती हेम्ब्रोम पति स्व0 विशु हेम्ब्रोम।	89	1778, 1839	0.48	श्री छुटाई हेम्ब्रम पिता श्री बुड़गु हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
13	श्रीमती छीता हेम्ब्रम पति स्व. ठाकुर माझी। बलाद दखलः मुनी मांझी पिता लखन माझी। पिरु हेम्ब्रोम पिता ठाकुर मांझी, बुड़गु मांझी पिता बड़ा विशु मांझी, सिन्गो हेम्ब्रोम पिता स्व0 छुटाई मांझी, मालती हेम्ब्रोम पति स्व0 मंगला मांझी, बसंती हेम्ब्रोम पति स्व0 विशु हेम्ब्रोम।	4	1831	0.02	श्रीमती सिंगो हेम्ब्रम पति पिरु हेम्ब्रम श्री ठाकुर हेम्ब्रोम पिता श्री पिरु हेम्ब्रोम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
14	श्रीमती जस्मीन हेम्ब्रम पति स्व. छोटाई माझी।	4.89	1656, 1662, 1666, 1794, 1798, 1830, 1835, 1840	0.60	1. श्रीमती पुडू हेम्ब्रम पिता स्व0 छोटाई माझी 2. श्रीमती सिंगो हेम्ब्रम पिता स्व0 छोटाई माझी	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
15	धुमा माझी पिता स्व. खेला माझी।	237, 134, 133	680, 1671, 681, 1676, 1686, 1810, 1811	1.57	श्री नितीश कुमार बेसरा पिता स्व0 बिक्राम बेसरा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
16	धानीराम सोरेन पिता स्व. कड़िया,धनु माझी, मालती सोरेन पति स्व. डोमन माझी, गुरुबारी, पानो पति स्व. रामराय मांझी, धनराय सोरेन पिता स्व. फातु माझी, पानरा सोरेन आरसु सोरेन पिता स्व. राममाझी।	34	1883	0.10	श्री कातु सोरेन पिता स्व0 रामराई सोरेन	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
17	हदरो संग्राम मांझी बरजू मांझी पिता स्व. संखाई मांझी। जस्मी मांझी (मुर्मू) पिता स्व0 पिती मांझी, मादा मुर्मू पिता स्व0 संखाई मांझी, जोबा मुर्मू पिता स्व0 संखाई मांझी, चाम्पा मुर्मू पिता स्व0 बंगाल मुर्मू, होपा मुर्मू पिता बंगाल मुर्मू।	307	1806, 1807	0.29	श्री सुनिल हॉसदा पिता सोमाय हॉसदा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
18	बुधराम बेसरा पिता स्व. चरण माझी।	237	1677, 1682, 1696	0.82	श्रीमती तारामनी बेसरा पति ईश्वर बेसरा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
19	बुधराम बेसरा पिता स्व. चरण माझी, धुमा मांझी पिता स्व. खेला मांझी।	237	1646, 1695, 1697	0.25	श्री मुकेश बास्के पिता चन्द्रमोहन बास्के	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
20	बुधु तांती पिता स्व. शम्भू तॉती।	171	1918	0.08	1. श्री शम्भु पात्रो पिता बिरिन्दाबन पात्रो 2. श्री गनेश पात्रो पिता परशुराम पात्रो	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
21	बड़ा सांग्राम मांझी, दुर्गा चरण मुर्मू हाबीराम मुर्मू, साहेबराम मुर्मू, भिशु मुर्मू, आरसु मुर्मू पिता स्व. गाजी मुर्मू, गाजी मुर्मू, गुमदा मुर्मू, डोमन मुर्मू, दुलाई मुर्मू पिता स्व. मंगल मुर्मू।	12, 265, 266, 267	1892, 1894, 1905, 1906, 1907, 1910, 1917, 1922, 1928	2.62	1. श्री शिशु मुर्मू पिता स्व0 गाजी मुर्मू 2. श्री सुशान्तो हॉसदा पिता मेघराई हॉसदा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
22	बोडो सांग्राम मांझी, दुर्गा चरण मुर्मू, हाबीराम मुर्मू, साहेबराम मुर्मू शिशु मुर्मू आरशु मुर्मू पिता स्व. गाजी माझी।	267, 269, 12	1909, 1911, 1916, 1919, 1920, 1923, 1921, 1925, 1927, 1926	3.30	1. श्री गम्हा माझी पिता घासीराम माझी 2. श्री सागर मुर्मू पिता बोरो संग्राम माझी	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
23	भीम माझी पिता स्व. छोटो फातु मांझी, फागु मुर्मू, सोमाय मुर्मू पिता स्व. संग्राम मांझी।	8	637/अंश	1.15	1. श्री सोमाय मुर्मू पिता स्व0 मोरा मुर्मू 2. श्री उपेन्द्र मुर्मू पिता गुरबा मुर्मू 3 श्रीमती लिदी मुर्मू पति स्व0 सामु मुर्मू 4. श्री गुरबा मुर्मू पिता स्व0 भीम मुर्मू	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
24	भीम माझी पिता स्व. लखन माझी। मुगली मांझी पति स्व0 गुरबा मांझी।	190	1803, 1859, 1870	0.42	श्री लखन हेम्ब्रम पिता स्व0 भीम हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
25	मुण्डा मांझी, गुरबा माझी पिता रमाई माझी।	199, 200	1669, 1672, 1683, 682, 683	2.28	कु0 नागी बेसरा पिता रामाई बेसरा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
26	मुगली माझी पति स्व. गुरबा माझी।	10, 236	1658, 1818, 1844, 1846, 1848, 1850, 1874, 1879	0.91	श्री लखन मुर्मू पिता स्व0 सहीराम मुर्मू	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
27	मुगली माझी पति स्व. गुरबा माझी। लखन हेम्ब्रम पिता विशु माझी।	236	1878	0.37	**No Nomination Received**	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
28	रामो हो, विनोद हो पिता स्व. दामो हो।	172, 171	1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904	4.46	1. श्री रामो हो पिता स्व0 दामु हो 2. श्री बिनोद हेस्सा पिता स्व0 दामु हो 3. श्री डिबार चाकी पिता दामु चाकी 4. श्री लक्ष्मण चाकी पिता दामु चाकी 5. श्री बीरसिंह ओमोंग पिता शिवा ओमोंग 6. श्री अर्जुन कुंकल पिता सेलाय कुंकल 7. श्री कृष्णा तियु पिता बायो 8. श्री सुशील कु0 मार्डी पिता उच्छबा मार्डी 9. श्री किस्टो तापे पिता स्व0 संगी तापे 10. श्री धनुराम मार्डी पिता स्व0 सोमाय मार्डी 11. श्री रघु हॉसदा पिता स्व0 संग्राम हॉसदा 12. श्री लक्ष्मण हॉसदा पिता स्व0 माझिया हॉसदा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
29	लुदा सोरेन पिता स्व. अर्जुन माझी, चाम्पा सोरेन पति स्व. रंगिया सोरेन। अर्जुन (सोरेन) मांझी पिता स्व0 लुदा मांझी, चम्पा सोरेन पति स्व0 रंगिया सोरेन।	16, 14, 18	1680, 1681, 1687, 1688, 1889, 1691, 1692, 1701, 1703, 1693, 1694, 1702, 1882, 1854, 1855	3.73	1. श्रीमती करमी मुर्मू पति राम मुर्मू 2. श्रीमती सुनिया सोरेन पति अर्जुन माझी	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
30	लखन हेम्ब्रम पिता विशु माझी।	10, 170, 236	1659, 1790,1812, 1819, 1858, 1861, 1841, 1843,1849, 1855,1877, 1813	1.20	श्रीमती सोनाली टुडू पति दशरथ टुडू	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
31	सालमा हेम्ब्रम पति मुटी हेम्ब्रम,भोजो हेम्ब्रम पिता स्व0 भुजु माझी, मुगली माझी पति गुरबा माझी वो लखन हेम्ब्रम पिता स्व0 विषु मांझी गालु पिता कारु माझी, विरजु हेम्ब्रोम लुसकु हेम्ब्रम पिता स्व0 रामराय हेम्ब्रम,। पायो हेम्ब्रोम पति स्व0 गालु हेम्ब्रोम, विरजु हेम्ब्रोम, लुस्कु हेम्ब्रोम पिता स्व0 रामराय मांझी, सालमा हेम्ब्रोम पति स्व0 भूटि मांझी, भोंजो हेम्ब्रोम पिता स्व0 भुजु मांझी, मुगली मांझी पति स्व0 गुरबा मांझी, लखन मांझी पिता स्व0 विशु मांझी।	10	1651, 1792, 1827, 1785	0.38	श्री जादु हेम्ब्रोम पिता भोंजो हेम्ब्रोम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
32	सालमा हेम्ब्रम पति स्व. मुही हेम्ब्रम गालु हेम्ब्रम पिता स्व. कारु मांझी बिरजु हेम्ब्रम किसकु हेम्ब्रम पिता स्व. रामराय हेम्ब्रम। पायो हेम्ब्रोम पति स्व0 गालु हेम्ब्रोम, विरजु हेम्ब्रोम, लुस्कु हेम्ब्रोम पिता स्व0 रामराय मांझी, सालमा हेम्ब्रोम पति स्व0 भूटि हेम्ब्रोम, भोंजो हेम्ब्रोम पिता स्व0 भूजु मांझी।	10	1660, 1665, 1791, 1817, 1820, 1821, 1828, 1832, 1881	2.34	श्री लखन हेम्ब्रम पिता स्व0 गालु हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
33	सालमा हेम्ब्रम पति मुही हेम्ब्रम भेजो हेम्ब्रम पिता स्व. भूजु मांझी बिरजु हेम्ब्रम, लुस्कु हेम्ब्रम पिता रामराय हेम्ब्रम। पायो हेम्ब्रोम पति स्व0 गालु हेम्ब्रोम, विरजु हेम्ब्रोम, लुस्कु हेम्ब्रोम पिता स्व0 रामराय मांझी, सालमा हेम्ब्रोम पति स्व0 भूटि हेम्ब्रोम, भोंजो हेम्ब्रोम पिता स्व0 भूजु मांझी।	194	1822, 1825	0.19	श्री माईसा टुडू पिता स्व0 फागु टुडू	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
34	सुराई सोरेन विराम सोरेन पिता स्व. जीतराय माझी। सुराई सोरेन, विराम सोरेन उर्फ विक्रम सोरेन पिता स्व0 जीतराय मांझी उर्फ सोरेन।	172, 173	1699, 1700	0.76	1. कु0 करीना सोरेन पिता बिक्रम सोरेन 2. कु0 सोनम सोरेन पिता सुराई सोरेन 3. कु0 ममता सोरेन पिता बिक्रम सोरेन 4. कु0 सिंगो सोरेन पिता बिक्रम सोरेन 5. कु0 मनी सोरेन पिता सुराई सोरेन	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
35	साखी माझीयान पति स्व. जगन्नाथ माझी बुधराम मांझी पिता स्व. देसाई मांझी।जगन्नाथ मांझी , चम्पाई मांझी पिता स्व0 गाजी मांझी।	295, 294	1888, 1889, 1890	2.77	1. श्री रवि बास्के पिता चाम्पाई माझी 2. श्री श्रीकांत बास्के पिता चाम्पाई मांझी	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
36	सीधो मांझी पिता कोड़ो मांझी।सिदो मांझी पिता स्व0 बोडो गाजी मांझी।	56	1929	0.85	1. श्री गुमदा हेम्ब्रम पिता स्व0 गाजी हेम्ब्रम 2.श्री गाजी हेम्ब्रम पिता सिदो हेम्ब्रम 3.श्रीमती माईनो हेम्ब्रम पति बिस्टु हेम्ब्रम 4.कु0 लुखी हेम्ब्रम पिता स्व0 दासमत हेम्ब्रम 5.श्री गनेश हेम्ब्रम पिता स्व0 गुमदा हेम्ब्रम 6.कु0 सालगे माझी पिता स्व0 दासमत माझी 7.श्रीमती फूलो हेम्ब्रम पति बुडान हेम्ब्रम 8. श्रीमती सीता हेम्ब्रम पति बासु हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
37	सिधो हेम्ब्रम, बुडान हेम्ब्रम, गुमदा हेम्ब्रम पिता स्व. गाजी हेम्ब्रम, दसमत हेम्ब्रम, गुनाय हेम्ब्रम, बिस्टु हेम्ब्रम पिता स्व. सिधो हेम्ब्रम।	282	1932	0.05	1. श्रीमती माईनो हेम्ब्रम पति बिस्टु हेम्ब्रम 2. कु0 लुखी हेम्ब्रम पिता स्व0 दासमत हेम्ब्रम 3.कु0 सालगे माझी पिता स्व0 दासमत माझी 4.श्रीमती फूलो हेम्ब्रम पति बुडान हेम्ब्रम 5.श्रीमती रुमी मुर्मू पिता स्व0 दासमत हेम्ब्रम 6. श्रीमती सीता हेम्ब्रम पति बासु हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
38	श्रीमती . सागरा मार्डी, रघुनाथ मार्डी पिता स्व. भगीरथ मार्डी।	44	679	1.52	1. श्रीमती माया देवी मार्डी पिता संग्राम मार्डी 2. श्रीमती चॉदमनी मार्डी पिता राघुनाथ मार्डी 3. श्रीमती चॉदमनी सोरेन पिता राघुनाथ मार्डी 4. श्रीमती मोनिका मार्डी पति मुनीराम मार्डी 5.श्रीमती सिंगो मार्डी पति करन मार्डी	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
39	धानुराम हेम्ब्रम, सिधो हेम्ब्रम पिता स्व. दुर्गा हेम्ब्रम, माधव राम हेम्ब्रम पिता स्व0 धानु माझी। हराधन हेम्ब्राम ,सुराई हेम्ब्राम , जितेन हेम्ब्राम पिता स्व0 माधुराम हेम्ब्राम।	124	1690	0.16	1. श्री जितेन हेम्ब्रम पिता स्व माधुराम हेम्ब्रम 2. श्री सुराई हेम्ब्रम पिता स्व0 मधुराम हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
40	संग्राम मार्डी, रघुनाथ मार्डी पिता भगीरथी मार्डी निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	30	1801	मकान	1. श्री मुनीराम मार्डी पिता संग्राम मार्डी 2. श्री बलिया हॉसदा पिता स्व0 गोरा हॉसदा 3. श्रीमती मिरु मार्डी पति भगीरथी मार्डी	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
41	रामी हेम्ब्रम पिता लखन हेम्ब्रम निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	170	1813	मकान	श्रीमती सोहागी हेम्ब्रम पति रामी हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
42	गोपीनाथ हेम्ब्रम पिता लखन हेम्ब्रम निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।श्रीमती कापरा हांसदाः पति श्री गोपीनाथ हांसदाः पिता विशु मांझी।	170	1813	मकान	श्री सुरज हॉसदा पिता गोपीनाथ हॉसदा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
43	लखन हेम्ब्रम पिता विशु माझी निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	170	1813	मकान	श्री रामदास हॉसदा पिता दासमत हॉसदा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
44	वकील हेम्ब्रम पिता लखन हेम्ब्रम निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	170	1813	मकान	श्रीमती रानी हेम्ब्रम पति वकील हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
45	रायमत हेम्ब्रम पिता विशु हेम्ब्रम, निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	170	1813	मकान	कु0 अंजली हेम्ब्रम पिता लखन हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
46	मुकेश हेम्ब्रम पिता लखन हेम्ब्रम निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	170	1813	मकान	श्री मुकेश हेम्ब्रम पिता लखन हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
47	लखाय बेसरा पिता खेला बेसरा निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	133	1811	मकान	श्रीमती रिमडी बेसरा पति लखाई बेसरा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
48	खेला बेसरा पिता धुमा मांझी निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	133	1811	मकान	श्री सुगदा बेसरा पिता खेला बेसरा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी

क्रमशः

copyright jagran.com

एक नजर

कटिहार में प्रेमी युगल ने फंदा डालकर कर ली खुदकशी

फलका (कटिहार) : पोठिया ओपी क्षेत्र के शब्दा पंचायत अंतर्गत सिमरिया रामी गांव में रविवार की रात प्रेमी युगल गले में फंदा डालकर खुदकशी कर ली। दोनों के शव गांव से सटे बहियार में पेड़ से लटके मिले। परिजनों ने गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। (संसू)

रोहतास में महिला ने की खुदकशी का प्रयास, बेटी की मौत

नोखा (रोहतास) : रूपीपुर गांव में सोमवार की देर शाम पारिवारिक कलह से तंग महिला ने अपनी बेटी के साथ शरीर पर केरोसिन छिड़कर आग लगा ली। पांच वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से झुलसी परमजीत राय की पत्नी दुर्गावती देवी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया। (संसू)

मधेपुरा में पिस्टल के साथ पोज देना छात्र नेता को पड़ा महंगा

मधेपुरा : सदर थाना में पदस्थापित दारोगा का सर्विस पिस्टल हाथ में लेकर फोटो खिंचाने के मामले में एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए सदर थाने में पदस्थापित दारोगा राजेश कुमार रंजन को निलंबित कर दिया है। वहीं छात्र नेता रोहित यादव के विरुद्ध सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। (संसू)

असम में बीआइटी पटना के छात्र की डूबने से मौत

पटना : प्रदेश राजद के तकनीकी प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष ई. अशोक यादव के छोटे बेटे आदित्य प्रकाश की रविवार को असम में चंपा नदी में स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। आदित्य प्रकाश पटना के बीआइटी मेसरा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का तृतीय वर्ष का छात्र था। वह एनटीपीसी असम में इंटर्नशिप कर रहा था। आदित्य का बड़ा भाई वहीं इंजीनियर है। दोनों भाई स्नान कर रहे थे। इसी दौरान दोनों डूबने लगे। लोगों ने बड़े भाई को तो बचा लिया, लेकिन आदित्य डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और राजद में शोक की लहर दौड़ पड़ी। (जासं)

जल्द सुलभ होगा ब्लड कैंसर का सस्ता व कारगर इलाज

जितेंद्र कुमार ● पटना

ब्लड कैंसर का सस्ता और कारगर इलाज जल्द ही देश में भी सुलभ होगा। राहत देने वाली यह खबर पटना से आई है, जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरैपी और रेडियोथैरेपी से आगे की युक्ति पर पहल शुरू की है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित इम्यूनोथैरेपी के जरिये ब्लड कैंसर का इलाज अब तक विदेश में ही मुमकिन था जिस पर तीन करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आता है। अब स्वदेश में इस इलाज के सुलभ हो जाने की उम्मीद जग गई है। इसके लिए पटना एम्स में कार-टी सेल (चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर- ट्यूमर कोशिका) तैयार की जाएगी।

पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ● जागरण

स्वस्थ समाज

'कार-टी सेल तैयार करने के लिए एफडीए प्रमाणित प्रोटोकॉल के अनुसार सैद्धांतिक समिति ने मंजूरी दे दी है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में विशेषज्ञों की टीम ने अध्ययन कर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है।

डॉ. सीएम सिंह, अध्यक्ष सामुदायिक चिकित्सा विभाग, एम्स पटना

इस तरह होगा इलाज : इलाज की इस नई सुविधा के तहत एक कैंसर पीड़ित मरीज के खून से लैब में औसतन 22 दिनों के भीतर अरबों की संख्या में कार-टी सेल तैयार किए जाएंगे। लैब में तैयार ये सेल वापस उसी मरीज के शरीर में इंजेक्ट किए जाएंगे। कार-टी सेल शरीर में जाते ही गुणात्मक रफ्तार से वृद्धि करेगा और ट्यूमर के सेल को नष्ट कर देगा। इस चिकित्सा प्रणाली को इम्यूनोथैरेपी कहा जाता है, जिसमें शरीर के प्रतिरोधी तंत्र में से कैंसर कोशिकाओं को समाप्त कर दिया जाता है। कार-टी सेल चिकित्सा पद्धति को अमेरिका के कैलीफोर्निया में ईजाद किया गया है। इसे एफडीए (खाद्य एवं औषधि प्रशासन) ने प्रमाणित भी कर दिया है। एम्स पटना एफडीए प्रमाणित प्रोटोकॉल को ही अपना रहा है।

एम्स में बहुत सस्ते में होगा इलाज : यह इलाज काफी महंगा पड़ता है और विदेश में ही उपलब्ध है। ब्लड कैंसर के एक मरीज के इलाज पर भारतीय मुद्रा में यह खर्च करीब 3.20 करोड़ रुपये पड़ता है। इस इलाज की खूबी यह है कि इससे एक बार में समाधान हो जाता है। प्रारंभिक आकलन में माना जा रहा है कि विदेश में सवा तीन करोड़ रुपये में इस विधि से होने वाला ब्लड कैंसर का इलाज पटना एम्स में सिर्फ चार से पांच लाख रुपये में संभव हो सकेगा।

पटना एम्स की सैद्धांतिक समिति ने 14 मई को माइक्रो-बायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. साधना शर्मा के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। संस्थान देश में ब्लड कैंसर के इलाज के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत इम्यूनोथेरेपी प्रणाली विकसित करने वाला पहला संस्थान हो जाएगा।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

जहानाबाद में दिनदहाड़े बैंक मैनेजर को गोलियों से भूना

अपराधियों ने अरवल में तैनात बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक को मारी चार गोलियां

संवाद सहयोगी, रतनी फरीदपुर (जहानाबाद) : सोमवार को दिनदहाड़े मोटरसाइकिल सवार तीन अपराधियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की अरवल शाखा के प्रबंधक आलोक चंद्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से जहानाबाद की ओर भाग निकले। आलोक नवादा जिले के वारसिलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुटरी गांव के निवासी थे। आक्रोशित बैंककर्मियों ने कामकाज ठप कर विरोध प्रदर्शन किया। जिले के बैंक मंगलवार तक के लिए बंद कर दिए गए।

आलोक अरवल में पत्नी के साथ रहते थे। श्राद्धकर्म में भाग लेने के लिए वे अपने घर नवादा गए थे। सुबह घर से बैंक जाने के लिए बाइक से निकले थे कि जिले के नेहालपुर डायवर्सन पर घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां दाग दीं। जिसमें से चार गोलियां आलोक को लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात

- आक्रोशित बैंककर्मियों ने किया प्रदर्शन, मंगलवार को बैंक बंद
- नवादा में पैतृक घर से लौट रहे थे आलोक चंद्रा, घात लगाए थे अपराधी

समस्तीपुर में महिला बैंक प्रबंधक व बच्चों की हत्या, पंखे से लटकी मिली पति की लाश

जासं, समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्शनगर मोहल्ले में सोमवार को महिला बैंक प्रबंधक और उसके दो बच्चों की हत्या कर दी गई। साथ ही बैंक प्रबंधक के पति की लाश कमरे में पंखे से झूलती हुई मिली। रितेश के पास होम्योपैथिक चिकित्सक की डिग्री थी, लेकिन वह बेरोजगार था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया की केवस शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत पूजा कुमारी (34) शहर के आदर्श नगर मोहल्ले में अपने पति रितेश कुमार (38), पुत्री श्रृष्टि (9) एवं श्रेया (8) के साथ किराये के मकान में रहती थी। पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने बताया कि मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। घर के अंदर की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पहले तीनों की गला दबाकर हत्या की गई हो फिर बाद में पति खुद पंखे से झूल गया हो।

औरंगाबाद में इंजीनियरिंग छात्र की गोली मारकर हत्या

संवाद सूत्र, ओबरा (औरंगाबाद) : रविवार की देर रात्रि अपराधियों ने इंजीनियरिंग के छात्र अवनीश कुमार उर्फ मुन्ना (21) की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। ओबरा थाना के गोड़तारा गांव के बालभगत सिंह का पुत्र अवनीश इकलौती संतान था। पटना जिले के बिहटा स्थित एनएसआइटी से वह इंजीनियरिंग कर रहा था। छुट्टियों में घर आया था। ओबरा में चाचा वैजनाथ सिंह के घर पर रह रहा था। परिजनों ने बताया कि क्रिकेट खेलने बाहर गया था। रात्रि करीब 9 :30 बजे घर के पीछे फायरिंग की आवाज सुनाई दी। ग्रामीण दौड़ते हुए पहुंचे तो देखा कि अवनीश की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

बिहार में बाबुओं को घर बनाने के लिए मिलेंगे 25 लाख एडवांस

कैबिनेट के फैसले

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य सरकार के सेवकों को सरकार अब आवास निर्माण के लिए 25 लाख रुपये तक अग्रिम देगी। इतना ही नहीं घर के विस्तार के लिए भी कर्मियों को अग्रिम मिलेगा। यह राशि दस लाख रुपये तक होगी। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव अरूण कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक राज्य कर्मियों को घर निर्माण के लिए 7.50 लाख रुपये तक के अग्रिम के प्रावधान थे। जबकि घर विस्तार के लिए कर्मियों को दिए जाने वाले एडवांस की अधिकतम सीमा 1.80 लाख रुपये थे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने के बाद सरकारी सेवकों को दी जाने वाली सुविधा में केंद्र सरकार ने काफी बदलाव किए हैं। उन अनुशंसाओं को राज्य सरकार ने भी अंगीकार कर लिया है।

नई व्यवस्था में घर एडवांस के अलावा कर्मचारी यदि कम्प्यूटर के लिए अग्रिम राशि चाहेंगे तो वह भी उन्हें दी जाएगी। पहले कम्प्यूटर के लिए कर्मियों को दो बार एडवांस देने के प्रावधान थे।

समाचार सार

हमारी सबसे बड़ी पूंजी यहां का इतिहास : नीतीश

राज्य ब्यूरो, पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को गांधी मैदान के समीप स्थित सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र परिसर में सभ्यता द्वार का लोकार्पण किया। इसी परिसर में उन्होंने सम्राट अशोक की प्रतीकात्मक आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद कन्वेंशन केंद्र परिसर स्थित ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी यहां का इतिहास है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार में बन रहे आइकॉनिक भवनों की भी चर्चा की। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

किशनगंज में चाइनीज सेब के साथ दो गिरफ्तार

संसू, दिघलबैंक (किशनगंज) : भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी 12 वीं बटालियन मोहामारी के जवानों ने सोमवार को नेपाल से लाए जा रहे चाइनीज सेब के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। नेपाल के झापा सुरंगा जिले के प्रीति चंद्र मंडल व विष्णु मंडल दो बाइक पर कार्टून में सेब व अन्य सामान लाद कर भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। तलाशी के क्रम में उसके पास से 220 किलो चाइनीज सेब बरामद किया गया। उनकी दो मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई हैं।

गया में छेड़खानी का वीडियो बनाने के मामले में दो गिरफ्तार

संसू, वजीरगंज (गया) : युवती के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए दो आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। अन्य की तलाश जा रही है। बीते तीन-चार दिनों में दो अलग-अलग वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें कुछ लोग युवतियों के साथ दुर्व्यवहार करते दिख रहे हैं। उनके साथ मारपीट और छेड़खानी की जा रही है। एक वीडियो में युवती दुपट्टे से अपना चेहरा ढकने की कोशिश करती है तो उसे जबरन हटाया जाता है।

अवैध निर्माण में एक्साइज अधीक्षक पर केस

जासं, पटना : राजीव नगर थाने की पुलिस ने सोमवार को बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। रोड नंबर छह में विवादित भूखंड पर मकान बनवा रहे कटिहार के एक्साइज अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र के यहां दबिश दी और उनके मुंशी अमित व चार मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। अधीक्षक मौके पर नहीं मिले। हालांकि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि अधीक्षक पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

गैस लीक लगी आग, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

जासं, मधेपुरा : बिहार में मधेपुरा शहर के वार्ड नंबर सात स्थित आदर्श नगर मोहल्ले में गैस लीक होने से लगी आग में झुलस कर महिला तथा दो बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के प्रयास से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

नवादा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या

जासं, नवादा : कादिरगंज सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत खरगु बिगहा गांव के समीप सोमवार को सकरी नदी से एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त बिहारशरीफ के खंदकपर मोहल्ला निवासी प्रॉपर्टी डीलर राहुल कुमार सिंह के रूप में की गई। वह कई वर्षों से कादिरगंज के सोनू बिगहा में रह रहा था।

पूर्णिया में सामूहिक दुष्कर्म, बनाया वीडियो

जागरण संवाददाता, पूर्णिया : सदर थाना क्षेत्र के एक घर में छात्रा को अकेली पाकर तीन युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने सोमवार को महिला थाना में तीनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें गुलाबबाग के शास्त्रीनगर निवासी विशाल सिंह, सिंघिया निवासी सचिन कुमार और बाबोसा मंदिर वार्ड नंबर 39 के अर्जुन कुमार को नामजद किया गया है। मेडिकल जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इसके बाद न्यायालय में पीड़िता का 164 का बयान भी दर्ज कराया गया है। महिला थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी ने बताया कि तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

कांग्रेस ने मांगे डिप्टी सीएम के दो पद

जदएस चुप, कर्नाटक में सरकार गठन से पूर्व सोनिया-राहुल से मिले स्वामी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जदएस नेता और कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने सोमवार को दिल्ली पहुंचकर संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। बताते हैं कि इस दौरान कांग्रेस की ओर से सरकार में अपने लिए डिप्टी सीएम के दो पद मांगे गए। लेकिन जदएस की ओर से अभी इसे लेकर कोई सहमति नहीं दी गई है।

कर्नाटक में कांग्रेस और जदएस गठबंधन की सरकार 23 मई को शाम 4.30 बजे विधानसभा सौध में शपथ लेगी। उससे पहले दोनों दलों के बीच डिप्टी सीएम, मंत्री और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, डिप्टी सीएम के दोनों पदों पर कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेता परमेश्वरन और डीके शिवकुमार को बैठाना चाहती है। यह सारी कवायद खेमों में बंटी पार्टी को एकजुट रखने की है। खासकर ऐसे समय जब पार्टी विधायकों के तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है। हालांकि, बैठक में मौजूद कांग्रेस नेताओं का कहना था कि बैठक में सरकार गठन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। कुमारस्वामी शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोनिया और राहुल गांधी को आमंत्रित करने आए थे। बता दें कि कुमारस्वामी की सोनिया और राहुल गांधी से यह मुलाकात राहुल गांधी के तुगलक रोड स्थित निवास पर हुई। बाद में कुमारस्वामी ने बताया कि सोनिया और राहुल दोनों ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है।

उपमुख्यमंत्री पर फैसला आज : उच्च पदस्थ सूत्रों को मुताबिक, 23 मई को मुख्यमंत्री के साथ चुनिंदा मंत्री ही शपथ लेंगे। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री को लेकर फैसला मंगलवार को बेंगलुरु में दोनों पार्टियों की बैठक के बाद किया जाएगा।

समन्वय समिति बनेगी : सूत्रों ने बताया कि गठबंधन सरकार के सुचारू संचालन के लिए दोनों दलों की एक समन्वयन समिति का गठन होगा।

जदएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं ● प्रेट्र

कांग्रेस बोली, हमें भाजपा से दो फीसद ज्यादा वोट मिले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कर्नाटक का चुनाव भले ही खत्म हो गया है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत हार को लेकर जुबानी जंग जारी है। सोमवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला तो कांग्रेस ने भी वोट शेयर दिखाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि भाजपा किस जनादेश की बात कर रही है। कांग्रेस को उससे दो फीसद ज्यादा वोट मिले है। चुनाव में कांग्रेस को 38 फीसद और भाजपा को 36 .2 प्रतिशत वोट मिले है। कांग्रेस नेता के अनुसार, उनके वोट 2013 के मुकाबले बढ़े भी है। भाजपा अध्यक्ष के हमले के बाद आनंद शर्मा ने कहा कि जो लोग कर्नाटक में कांग्रेस और जदएस के गठबंधन को अपवित्र बता रहे है, वह भूल गए कि उन्होंने गोवा, मणिपुर में कैसी सरकारें बनाई? वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक में जदएस के साथ अपने गठबंधन को समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की जोड़-तोड़ की राजनीति को रोकने के लिए यह जरूरी है।

कांग्रेस-जदएस का गठबंधन अपवित्र : शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस-जदएस सरकार बनने के पहले ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उस पर बड़ा हमला बोला है। शाह ने कर्नाटक के जनादेश को भाजपा के पक्ष में बताते हुए जदएस-कांग्रेस गठबंधन को अपवित्र करार दिया है। विधायकों के अभी तक होटल में कैद होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार के बनने से पहले ही अस्थिर होने की निशानी है।

भाजपा पर खरीद-फरोख्त (हार्स ट्रेडिंग) के आरोपों का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तो पूरा अस्तबल ही बेच दिया।अमित शाह ने कर्नाटक के जनादेश को खंडित बताने के दावे को भी खारिज कर दिया। उनका कहना है कि कर्नाटक में जनता ने भाजपा को जनादेश दिया है। संख्या बल में उसके सात विधायक ही कम हैं और 13 सीटों पर उसकी हार नोटा को मिले वोटों से भी कम वोटों से हुई है। शाह ने आरोप लगाया कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बहुमत पाए बिना ही भाजपा सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। इस तरह के कई दुष्प्रचार फैलाये गए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने लिए एक विधायक की पत्नी को फोन का टेप भी जारी किया गया। लेकिन अब उस विधायक ने साफ कर दिया है कि उसकी पत्नी के पास ऐसा कोई टेप नहीं आया था।

राष्ट्रपति कोविंद का मानद उपाधि लेने से इन्कार

जागरण संवाददाता, सोलन : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को सोलन जिले (हिमाचल प्रदेश) के डॉ. वाईएस परमार वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय नौणी के नौवें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से दी जाने वाली डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि लेने से इन्कार कर दिया।

कोविंद ने मंच से कहा कि उन्होंने इस उपाधि के लिए असहमति दी है, क्योंकि वह स्वयं को इसके योग्य नहीं समझते। हालांकि इसके पीछे विश्वविद्यालय की भावना की कद्र करता हूं। यहां आने का प्रस्ताव इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यहां बागवानी और वानिकी पर बेहतर रिसर्च होती है। वह कुछ सीखने की चाह में यहां आए।

राष्ट्रपति निर्धारित समय 11 बजे से 15 मिनट पहले विश्वविद्यालय के सभागार में पहुंच गए और तत्काल कार्यक्रम शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के राष्ट्रीय गान की दूसरी पंक्ति में भाग्य विधाता शब्द हैं, जिन्हें कृषि, बागवानी और वानिकी सार्थक बना सकते हैं। उपाधि मात्र नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि शिक्षा का समुचित उपयोग करना आवश्यक है। ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने शिक्षा अर्जित करने के बाद कई ऐतिहासिक निर्णय लिए व किसानों के लिए प्रेरणा बने। अंत में उन्होंने नौणी विश्वविद्यालय के नौ विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल व 465 को डिग्रियां भी बांटीं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री : जयराम ठाकुर व राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी कार्यक्रम में छात्रों का मार्गदर्शन किया।

छात्राएं हर क्षेत्र में श्रेष्ठ : राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक प्रदान करने के बाद कहा कि कुल नौ स्वर्ण पदकों में से सात छात्राओं के हिस्से आए हैं। आज देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना सच हो रहा है। बेटियां खेल, शिक्षा, रक्षा से लेकर हर क्षेत्र में अव्वल हैं।

अर्थ इंफ्राटेक का भगोड़ा निदेशक दिल्ली से गिरफ्तार

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर के 2500 निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने वाले रीयल एस्टेट कंपनी अर्थ इंफ्राटेक के भगोड़ा निदेशक विकास गुप्ता को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सोमवार शाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एयरोसिटी एरिया से गिरफ्तार कर लिया। बिहार के रक्सौल से कुछ महीने के लिए जमानत मिल जाने पर वह दिल्ली आकर होटल मैरियट में ठहरा हुआ था।

उप्र के बदायूं में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म

जासं, बदायूं : उप्र के बदायूं स्थित सहसवान कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नित्यकर्म के लिए गई 11 साल की बालिका के साथ पांच लोगों ने दुष्कर्म किया। एसएसपी के आदेश पर तीन सगे भाइयों समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है।

पाकिस्तान से आए गुब्बारे में फैसलाबाद आने का संदेश

जासं, कपूरथला : सुल्तानपुर लोधी के मंड क्षेत्र में आते गांव बाऊपुर के किसान परमजीत सिंह के खेत में सोमवार सुबह एक गुब्बारा मिला। माना जा रहा है कि यह गुब्बारा पाकिस्तान की ओर से आया है। इसके साथ बंधे कागज के टुकड़े पर उर्दू में एक संदेश लिखा है।

49	रघुनाथ बेसरा पिता खेला बेसरा निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	133	1811	मकान	श्री रघुनाथ बेसरा पिता खेला बेसरा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
50	सीताराम बेसरा पिता धुमा मांझी निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	133	1811	मकान	कु0 देल्हो बास्के पिता संग्राम बास्के	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
51	विक्रम बेसरा पिता धुमा मांझी निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह। रीमा बेसरा पति स्व0 विक्रम बेसरा ।	133	1811	मकान	श्री सतीश कुमार बेसरा पिता स्व0 बिक्रम बेसरा	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
52	धुमा माझी पिता स्व. खेला माझी निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	133	1811	मकान	श्रीमती आझो किस्कु पति विभिषण किस्कु	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
53	छोटा गोपाल हेम्ब्रम, नानो हेम्ब्रम पिता संखो माझी निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।गोपाल हेम्ब्रोम पिता संखो मांझी।	57	1809	मकान	कु0 रिन्दी हेम्ब्रम पिता गोपाल हेम्ब्रम	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
54	संखो माझी, नानो हेम्ब्रम पिता गोपाल माझी निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह। संखो मांझी पिता स्व0 गोपाल मांझी।	57	1809	मकान	श्री बालाई मुर्मू पिता स्व0 गुमदा मुर्मू	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
55	भादा मुर्मू पिता सखाई मुर्मू निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	307	1806	मकान	श्री दिकु मुर्मू पिता भादा मुर्मू	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
56	होप्पा मुर्मू पिता बगाल मुर्मू निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	307	1806	मकान	श्री होपा मुर्मू पिता स्व0 बंगाल मुर्मू	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
57	सखाई मुर्मू, पान्थर मुर्मू पिता भादा मुर्मू निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	307	1806	मकान	श्री पाथोर मुर्मू पिता भदा मुर्मू	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी
58	चम्पा मुर्मू पिता बगाल मुर्मू, जोबा मुर्मू पिता सखाई मुर्मू निवासी निज ग्राम टोला डुंगरीडीह।	307	1806	मकान	श्रीमती सरपा मुर्मू पति होपा मुर्मू	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत् एक ही नियोजन मान्य होगी

उपरोक्त प्रत्येक भू-विस्थापित उम्मीदवारों को नीचे दिये गए तालिका के आधार पर क्रमवार एवार्ड संख्या, वर्णित दिनांक एवं समय अनुसार प्रारम्भिक साक्षात्कार ली जाएगी :- एवार्ड संख्या 01 से 08 तक दिनांक **11.06.2018**, एवार्ड संख्या 09 से 16 तक दिनांक **12.06.2018**, एवार्ड संख्या 17 से 24 तक दिनांक **13.06.2018**, एवार्ड संख्या 25 से 33 तक दिनांक **14.06.2018**, एवार्ड संख्या 34 से 41 तक दिनांक **15.06.2018**, एवार्ड संख्या 42 से 49 तक दिनांक **16.06.2018**, एवार्ड संख्या 50 से 58 तक दिनांक **18.06.2018**, समय **3.00 बजे अपराह्न** तुरामडीह आई. आर. भवन सभा कक्ष में होगी ।

कृते अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यू.सी.आई.एल.

उन्नति का रास्ता | थाईलैंड, चीन व मलेशिया में होती रही है इसकी खेती, 60 किसान आगे आए

दूर-दूर तक महक रहा कौशांबी का ड्रैगन फ्रूट

जागरण विशेष

विकास मालवीय ● कौशांबी

कई गंभीर बीमारियों के लिए रामबाण साबित होने वाले ड्रैगन फ्रूट की उप्र के कौशांबी में दो साल पहले शुरू हुई खेती ने किसानों की उन्नति के दरवाजे खोल दिए हैं। इसकी खेप गैर प्रांतों में भी पहुंचने लगी है। उद्यान विभाग के सहयोग से कुछ किसानों ने खेती शुरू की तो जिलेभर के करीब 60 किसान आगे आए।

थाईलैंड, चीन व मलेशिया में होने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 2015-16 में तत्कालीन डीएम अखंड प्रताप सिंह की पहल पर उद्यान विभाग ने पश्चिम बंगाल से ड्रैगन फ्रूट के पौधे मंगवाए। शुरुआत में बहुत कम लोगों ने रुचि दिखाई, लेकिन सालभर में बेहतर लाभ को देखते हुए किसानों का रुझान बढ़ा। 18 महीने में इसके पौधे फल देने के लिए तैयार हो गए थे। किसान एक बार फल निकाल चुके हैं।

तीन सौ ग्राम से आठ सौ ग्राम वजन तक के लाल रंग के होने वाले फलों को किसानों ने उद्यान विभाग के जरिए दूसरे प्रांतों में भी भिजवाया। उसके बाद से इसकी डिमांड दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में बढ़ गई है। केवल फल ही नहीं, इसे लगाने वाले किसान पौधे भी बेचने लगे हैं। यह पौधा नागफनी की तरह होता है। इसमें निकलने वाले कल्ले ही नए पौधे बनते हैं। जिले की मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट की खेती सफल है, इसलिए कई और किसान इसे लगाने लगे हैं। इसकी खेती करने के वाले टेंगाई गांव के किसान रवींद्र पांडेय ने बताया कि पहली साल फल आया तो अधिकतर टेस्ट करने में ही चला गया। लेकिन कुछ फल उन्होंने दो सौ रुपये प्रति फल के हिसाब से बेचे। इसकी खेती का विस्तार हो रहा है, इसलिए पौधों की डिमांड ज्यादा है।

कैसे होती है खेती : इसका पौधा काफी नाजुक होता है, इसलिए पिलर के सहारे खड़ा करना होता है और ऊपर से हल्का पानी देना होता है। एक पिलर में चार पौधे लगा सकते हैं और 18 महीने में उसमें 50 से 120 फल आ जाते हैं। उद्यान विभाग के अनुसार, प्रति एकड़ इसका उत्पादन करीब छह क्विंटल होता है। एक बार लगा पौधा कई साल चलता है।

इससे किसानों की अच्छी आय होती है। इसमें पिलर बनवाने का खर्च ही महंगा है। बाकी 50 रुपये का पौधा और गोबर की खाद लगती है। पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसमें बीमारी नहीं लगती है। कांटे होने की वजह से इसे कोई जानवर नहीं खाता है।

बंगाल से आए पौधे

- उप्र में सबसे पहले कौशांबी से खेती की हुई शुरुआत
- आठ तरह की बीमारियों के लिए साबित हो रहा है रामबाण
- 18 महीने में फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं ड्रैगन फ्रूट के पौधे

'कौशांबी जिले के 60 किसानों ने करीब सात हजार पौधों की खेती की। कम लागत में अधिक आय देने वाले ड्रैगन फ्रूट की मांग मुंबई, दिल्ली व मध्य प्रदेश समेत कई प्रांतों से की जा रही है। इसकी खेती कर किसान आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं।'

– **मेवाराम**, जिला उद्यान अधिकारी

ड्रैगन फ्रूट ● जागरण

अगस्त से आने लगते हैं फल

पौधों में मई व जून में फूल लगते हैं और अगस्त से दिसंबर तक फल आते हैं। इसकी ड्रिप सिंचाई ज्यादा बेहतर रहती है। गर्मी के मौसम में आवश्यकता के अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। फूल आने के एक महीने बाद फल तोड़ा जा सकता है।

इन बीमारियों के लिए रामबाण

ड्रैगन फ्रूट डायबिटीज, अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है। अधिक चर्बी वाले लोग भी इसका सेवन कर मोटापा कम करते हैं। यह फल हार्ट को मजबूत करने के साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है।